# सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आवेदन

1. आवेदक का नामः- श्री नितिन सक्सेना (सामाजिक कार्यकर्ता)
2. पताः- ए-509 अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.)
3. दूरभाष क्रमांकः- 9827666944
4. ई-मेल पताः- nitinsaxena0578@gmail.com
5. आवेदन देने का दिनांकः- 20/06/2024
6. कार्यालय का नामः- लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य विभाग नगर निगम भोपाल

1) भोपाल नगर निगम के अंतर्गत राजधानी स्थित सभी कचरा ट्रांसफ़र स्टेशनों को संचालित करने के संबंध में मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ली गई सभी आवश्यक अनुमतियो की प्रतियाँ,कार्यवाही विवरण सहित प्रदान करे।

2) उक्त संबंध मे मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ब्रिजेश शर्मा व अन्य द्वारा भोपाल नगर निगम को कब कब जारी नोटिस एवं अन्य पत्राचार किये गये जानकारी सहित प्रतियाँ प्रदान करे।

7. क्या चाहते है नकल / परीक्षण/ रिकार्ड निरीक्षण /रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/ प्रमाणित नमूना- रिकार्ड निरीक्षण पश्चात रिकार्ड की सत्यापित / प्रमाणित प्रति।
8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस की फीस रूपये 10/ नगद/ स्टॉम्प (बी.पी.एल सूची क्रं./ सदस्य को देय नही) पोस्टल आर्डर नं. ................... मूल्य........ रसीद क्रं....................................... दिनांक....../...../2024
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है .........हॉ/नहीं

2112-20-6-24
लोक सूचना कार्यालय
नगर निगम, भोपाल
आवेदन प्राप्ती की दिनांक.......

हस्ताक्षर

Saxena

(आवेदनकर्ता)

### ऑनलाइन वेट रीडर, कैमरे और लाखों का सामान जला

# आरिफ नगर कचरा प्लांट में लगी आग, 3 घंटे में बुझाई

**भोपाल @ पत्रिका.** आरिफ नगर स्थित नगर निगम के कचरा प्लांट में बुधवार दोपहर करीब 2.40 बजे आग लग गई। कचरा प्लांट में थर्माकोल और कपड़े रखे होने से आग तेज हो गई और 10-15 फीट ऊंची लपटें उठती रहीं। आग लगने से कचरा प्लांट में लगा कैमरा सहित लाखों का सामान जल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कचरा प्लांट में लगी आग से आसपास क्षेत्रों में दहशत फैल गई। आग बुझाने कबाड़ख़ाना, गांधीनगर सहित आसपास के अन्य फायर स्टेशनों से दमकलें मौके पर पहुंची और 5.30 बजे तक आग काबू पर काबू पाया।

बता दें कि कचरा प्लांट में जिस जगह आग लगी, वहां पर थर्माकोल और कपड़ों का करीब 10 टन कचरा रखा हुआ था, जो पूरी तरह से जल गया। इसके अलावा कैमरे, ऑनलाइन वेट रीडर, केबिन, केबल भी जल गई। शाम को जांच करने निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

आरिफ नगर स्थितनगर निगम के कचरा प्लांट में लगी आग।

13/06/2024 | Bhopal | Page : 7
Source : https://epaper.patrika.com/

#Bhasker

बचाव का रास्ता • ट्रांसफर स्टेशन पर मिक्स कचरा नहीं लेते, इसलिए इसे रास्ते में ही डंप कर देते हैं

# दावा : कचरा सेग्रीगेशन 60 से 90% हो गया... हकीकत : सौ टन कचरा रोज शहर में ही जल रहा

## स्वच्छ सर्वेक्षण में कचरा सेग्रीगेशन पर खासा जोर

विवेक राजपूत | भोपाल

नगर निगम का दावा है कि अब शहर में कचरे का 90% से अधिक सेग्रीगेशन (गीला-सूखा अलग) हो रहा है। इसे कारण आदमपुर छावनी कचरा खंती पहुंचने वाले कचरे की मात्रा 750 टन से घटकर 650 टन प्रतिदिन पर आ गई है। लेकिन हकीकत यह है कि यही 100 टन कचरा शहर में 30 से ज्यादा स्थानों पर डंप कर जलाया जा रहा है।

होशंगाबाद रोड पर बावर्ची रेस्टोरेंट के पीछे, एम्स से आगे, दानापानी रेस्टोरेंट के पास, कलियासोत डेम के पास, नीलबड़ में पशु प्रजनन केंद्र के पास, आरिफ नगर, रतन कॉलोनी मैदान, भानपुर रोड पर इंडियन ऑयल डिपो के पास और जेल रोड पर श्मशान के पास नगर निगम की गाड़ियां कचरा डंप कर रही हैं। हर जोन में एक-दो ऐसे स्थान हैं जहां निगम की कचरा गाड़ियों से ही कचरा डंप किया जाता है। सूखने पर इसे जला देते हैं।

फैक्ट फाइल

| 2024 | vs | 2023 |
|---|---|---|
| 650 टन करीब कचरा रोज निकल रहा | | 750 टन करीब कचरा रोज निकलता था |
| 290 टन करीब औसतन गीला कचरा | | 200 टन करीब गीला कचरा आता था |
| 330 टन करीब औसतन सूखा कचरा | | 250 टन करीब सूखा कचरा आता था |
| 40 टन गीला कचरा सूखे में मिला होता है। | | 300 टन करीब मिक्स कचरा आता था। |

## एएचओ को भी हकीकत की जानकारी

कचरा डंप करने की ज्यादातर एएचओ को जानकारी है। उन्होंने रोकने के प्रयास भी किए पर असफल रहे। एएचओ का कहना है कि अभी निगम प्रशासन कचरा सेग्रीगेशन पर बेहद सख्त है। ऐसे में कचरा ट्रांसफर स्टेशनों पर गीला और सूखा कचरा मिक्स होने पर लिया ही नहीं जाता है। जबकि रोड स्वीपिंग के दौरान निकलने वाला कचरा मिक्स मिलता है। सफाईकर्मी इसे सेग्रीगेट करे तो एक गाड़ी में चार घंटे लगते हैं। यही वजह है कि गाड़ी वाले ये कचरा डंप कर देते हैं।

### दावा... रिसाइकलिंग बढ़ने से कम हो गया कचरा

अफसरों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में शहर में एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) बढ़ी हैं। पहले जो रैपर आदि रिसाइकल नहीं होते थे वे भी अब कबाड़ में खरीदे जा रहे हैं। सूखे कचरे में से बड़ी तादाद में रिसाइकल होने से खंती पहुंचने वाला कचरा कम हुआ है।

### सेग्रीगेशन के लिए 600 अंक मिले, इसलिए जोर

स्वच्छ सर्वेक्षण में कचरा सेग्रीगेशन पर खासा जोर है। बीते स्वच्छ सर्वेक्षण में इसके लिए अधिकतम 600 अंक दिए गए थे। इसलिए नगर निगम इसे बेहद गंभीरता से ले रहा है। निगम ने 8500 से ज्यादा सफाईकर्मियों और 750 से ज्यादा गाड़ियों को लगा रखा है।

▪ कचरा सेग्रीगेशन को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं है। अगर निगम की कचरा गाड़ियों द्वारा शहर के अंदर कचरा डाला जा रहा है तो इसके लिए एएचओ की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई की जाएगी।
–हरेंद्र नारायण, कमिश्नर, नगर निगम

# ट्रान्सफर स्टेशनकी जानकारी

| क्र. | ज़ोन | ट्रान्सफर स्टेशन का नाम | ट्रान्सफर स्टेशन प्रभारी | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | जाटखेड़ी ट्रान्सफर स्टेशन | श्री अमन पाल (स्वच्छता निरीक्षक) | 9713858048 |
| 2 | 10 | दानापानी ट्रान्सफर स्टेशन | श्री सचिन कुमार जैन (स्वच्छता निरीक्षक) | 9425306261 |
| 3 | 08 | भदभदा ट्रान्सफर स्टेशन | श्रीमती राजलक्ष्मी तिवारी (स्वच्छता निरीक्षक) | 9131717485 |
| 4 | 06 | बाबानगर/शाहपुरा ट्रान्सफर स्टेशन | श्री धर्मेन्द्र परमार (स्वच्छता निरीक्षक) | 9200262597 |
| 5 | 16 | गोविन्दपुरा ट्रान्सफर स्टेशन | श्री आशीष भार्गव (स्वास्थ्य पर्यवेक्षक) | 9754805608 |
| 6 | 01 | बैरागढ़ ट्रान्सफर स्टेशन | श्री अंकित गौतम (स्वच्छता निरीक्षक) | 9425643035 |
| 7 | 02 | ईदगाह ट्रान्सफर स्टेशन | - | - |
| 8 | 19 | कजलीखेड़ा ट्रान्सफर स्टेशन | श्रीमती बीना अग्रवाल (स्वच्छता निरीक्षक) | 9907174398 |
| 9 | 15 | ट्रांसपोर्ट नगर ट्रान्सफर स्टेशन | श्री वाशुदेव उदेनिया (स्वच्छता निरीक्षक) | 9522667013 |
| 10 | 04 | आरिफ नगर ट्रान्सफर स्टेशन | श्री जितेन्द्र शर्मा (स्वच्छता निरीक्षक) | 8602175688 |
| 11 | 07 | शाहजहानी ट्रान्सफर स्टेशन | श्री पंकज खरे ( उपस्वास्थ्य पर्यवेक्षक) | 8878030507 |
| 12 | 09 | राजेंद्र नगर ट्रान्सफर स्टेशन | श्री दिलीप शर्मा (स्वच्छता निरीक्षक) | 7879153369 |

**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उल्लंघन और पर्यावरणीय स्वीकृति न होने के संबंध में याचिका OA 992/2024 पर लिखित जवाब प्रस्तुत।**

NI nitinsaxena0578@gmail.com
Mon, 21 Oct 2024 8:05:59 PM +0530

To "Consultant Judicial-NGT (P.B.)" <judicial-ngt@gov.in>, "Public Grievance" <publicgrievance-ngt@gov.in>

Cc "Administrative Section" <admn.ngt@nic.in>, "sss_peerbabacolonyjaitpur" <sss_peerbabacolonyjaitpur@hotmail.com>

Tags Not in Contacts

सेवा में,
माननीय चेयरपर्सन महोदय
प्रधान न्यायपीठ
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली

विषय: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उल्लंघन और पर्यावरणीय स्वीकृति न होने के संबंध में याचिका पर लिखित जवाब प्रस्तुत।

महोदय
मैं अपनी याचिका OA 992/2024 प्रधान न्यायपीठ के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ:

1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का पालन न होना: नगर में बने ट्रांसफर स्टेशन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का पालन नहीं किया है, जो कि इस नियम के स्पष्ट उल्लंघन का प्रमाण है।

2. पर्यावरणीय स्वीकृतियों (सीटीई/सीटीओ) का अभाव: 2017 से ट्रांसफर स्टेशन संचालित हो रहे हैं, लेकिन आज तक इनके लिए पर्यावरणीय अनुमति (सीटीई या सीटीओ) प्राप्त नहीं की गई है। इस विषय में मैंने आरटीआई आवेदन माह जून 2024 भी किया था जिसका उत्तर अब तक नहीं मिला है।

3. घनी आबादी वाले क्षेत्र में ईटीपी की कमी: ट्रांसफर स्टेशन में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) नहीं है, जिससे लीचेट के प्रबंधन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसके परिणामस्वरूप लीचेट को खुले नालों और पास की जलधाराओं में बहाया जा रहा है, जो पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है।

4. रामसर साइट भोज वेटलैंड के भीतर ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण: एक ट्रांसफर स्टेशन को रामसर साइट भोज वेटलैंड की फुल टैंक लेवल (FTL) सीमा के भीतर ही बना दिया गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण कानूनों के खिलाफ है।

5. अग्निकांड की घटनाएं और वायु प्रदूषण: ट्रांसफर स्टेशनों में कई बार आग लग चुकी है, जिससे वायु प्रदूषण रहवासी क्षेत्रों में फैल जाता है और स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

6. डंप साइटों से प्रदूषण: शहर में कई स्थानों पर असंगठित रूप से डंप साइट बना ली गई हैं, जिनसे भारी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है।

मेरे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है क्योंकि इस संबंध में कोई भी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुई है और आरटीआई का उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रार्थना :
उपरोक्त बिंदुओ एवं सर्दियों के मौसम,पराली जलाने और भविष्य मे दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण में संभावित वृद्धि को देखते हुए इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए तुरंत उचित कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।

एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहूँगा कि "सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स 2016" के अंतर्गत दिनांक 13/12/2023 को की भेजे गये आवेदन पर सेन्ट्रल जोन बैंच द्वारा दिनांक 6/02/2024 OA 16/2024 को सुनवाई कर Member Secatry MP Pollution control Bord को आवेदन को भेजकर कार्यवाही हेतु निर्देशित भी किया था किंतु दुर्भाग्य पूर्ण मेरी जानकारी अनुसार MPPCB द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जो कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि मे बेहद चिंतनीय है।
अतः आपसे सविनय निवेदन है कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही कर पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाए।
संलग्न:-अखबार मे प्रकाशित खबर एवं वीडियो क्लिप

नितिन सक्सेना
A-509 अशोका गार्डन भोपाल
9617666944
E-mail ID NitinSaxena0578@gmail.Com

**7 Attachment(s)** • Download as Zip • Add To ›

PHOTO-2024-10-21-19-46-... .jpg
92 KB •

PHOTO-2024-10-21-19-46-... .jpg
180.8 KB •

PHOTO-2024-10-21-19-47-... .jpg
142.2 KB •

PHOTO-2024-10-21-19-46-... .jpg
327.1 KB •

PHOTO-2024-10-21-19-55-... .jpg
423.2 KB •

VIDEO-2024-10-21-19-46-....mp4
8.9 MB •

ट्रान्सफर_स्टेशन की जानकारी.pdf
339.6 KB •